रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2006/कार्तिक 16, 1928

No. 540] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2006/KARTIKA 16, 1928

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 692(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 है ।

 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 45 में "भारत में वायुमार्ग द्वारा आयात किए गए कीटनाशियों की बाबत- मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, कोचीन और कांडला" शब्दों के स्थान पर "भारत में समुद्र मार्ग द्वारा आयात किए गए कीटनाशियों की बाबत- चैन्नई, कांडला, कोच्ची, कोलकाता, मुम्बई और तूतीकोरन (इन्नोर)" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. 19-7/2006-पीपी.-I]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :– मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 1650, तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :–

(1) सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,

(2) सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 1977,

(3) सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1988,

(4) सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,

(5) सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,

(6) सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999 और

(7) सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2006 ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2006

G.S.R. 692(E).—In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2006.

(2) The shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 45 of the Insecticides Rules, 1971 for the words "Madras, Calcutta, Bombay, Cochin and Kandla-in respect of insecticides imported by sea into India", the words "Chennai, Kandla, Kochi, Kolkata, Mumbai and Tuticorin (Ennor)-in respect of insecticides imported by sea into India", shall be substituted.

[No. 19-7/2006-PP.-I]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

Note :— The Principal rules were published in the Gazette of India, *vide* No. G.S.R. 1650, dated 19th October, 1971 and subsequently amended *vide* :—

(1) G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,

(2) G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,

(3) G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,

(4) G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,

(5) G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,

(6) G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999 and

(7) G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.